दिनांक–10.06.2026 को माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में बिहार के सभी जिलों के जिला पंचायत राज पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की कार्यवाही।

1. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत् है:–
   (1) श्री मनोज कुमार, सचिव
   (2) श्री नवीन कुमार सिंह, निदेशक
   (3) श्री आदित्य प्रकाश, अपर सचिव
   (4) श्री नजर हुसैन, अपर सचिव
   (5) श्री शम्स जावेद अंसारी, संयुक्त सचिव
   (6) मो0 वसीम अहमद, संयुक्त सचिव–सह– विशेष कार्य पदाधिकारी
   (7) श्री अखिलेश कुमार सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी
   (8) श्री सुभाष कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव
   (9) श्री गोविन्द चौधरी, उप सचिव
   (10) श्री निर्भय कुमार सिंह, अवर सचिव
   (11) श्री शुभम कुमार, अवर सचिव

2. माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मिलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी। बिहार के सभी जिलों के जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निदेश दिया गया। जो जिला पंचायत राज पदाधिकारी बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित है, उनसे स्पष्टीकरण किये जाने का निदेश दिया गया।
   (अनुपालनः– प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–01, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना)

3. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गयेः–

I. पंचायत सरकार भवन की समीक्षाः–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दिनांक–01.10.2025 को ग्राम पंचायत द्वारा 140, LAEO के द्वारा 367 एवं भवन निर्माण विभाग के द्वारा 322 निर्मित पंचायत सरकार भवन का लोकार्पण किया गया था, परन्तु गया जी, पूर्वी चंपारण, बक्सर, पूर्णिया, वैशाली एवं दरभंगा जिलो द्वारा उसका हस्तांतरण कर क्रियाशील करने की प्रगति असंतोषजनक है। कतिपय जिला पंचायत राज पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि लोकार्पण किये गये पंचायत सरकार भवन में अभी भी कई प्रकार के कमियाँ पाये जाने के कारण हस्तांतरण लेने में समस्या उत्पन्न हो रही है। कई बार निर्माण एजेंसी को कमियों का निराकरण करने हेतु पत्राचार किया गया है, परन्तु उनके द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जाता है। निदेशित किया गया कि कमियो का उल्लेख करते हुए जिला पदाधिकारी के माध्यम से कार्यपालक अभियंता LAEO/BCD के संवेदक के विरूद्ध एकरारनामा के शर्तो के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दें तथा एक सप्ताह के अंदर विधिवत ग्राम पंचायतों को

कृ0पृ0उ0

हस्तांतरित करते हुए पंचायत सरकार भवनों को क्रियाशील करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) निर्मित पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बिहार में कुल 3023 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया गया है जिसमें से 2663 पंचायत सरकार भवन ही संचालित है।

संचालित पंचायत सरकार भवनों में 108 में बैंक, 2635 में RTPS केन्द्र, 2530 में विद्युत कनेक्शन, 929 में डाकघर, 471 में NOFN, 944 में पुस्तकालय एवं 28 में सुधा पार्लर का संचालन किया जा रहा है। केवल 693 पंचायत सरकार भवनों में ही सफाई कर्मी–सह–सुरक्षा कर्मी की व्यवस्था है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। इस संबंध में सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध सुविधाओं का अपने स्तर से नियमित समीक्षा करें तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

निदेश दिया गया कि डाक विभाग के स्थानीय स्तर के पदाधिकारी के साथ नियमित बैठक कर निर्मित पंचायत सरकार भवन में डाकघर का स्थानांतरण कराना सुनिश्चित करें।

जिस पंचायत सरकार भवन पर सोलर प्रणाली का अधिष्ठापन नहीं किया गया है, BREDA से समन्वय कर अधिष्ठापन कराना सुनिश्चित करेंगें।

(ग) पंचायत सरकार भवन में आधार (AADHAAR) सेवा उपलब्ध कराने की अद्यतन स्थितिः–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 758 पंचायतों में Wired Internet Connection उपलब्ध है। 1689 पंचायतों के द्वारा ही LMS(Learning Management System) पर Onboard किया गया है। आधार सेवा उपलब्ध कराने हेतु पोर्टल पर Enroll कराये गये 1689 डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों के विरूद्ध 1583 ऑपरेटरों द्वारा ही परीक्षा हेतु पंजीकरण कराया गया है। यह चिन्ताजनक है। इस संबंध में सभी DPRO को निदेश दिया गया कि इसकी समीक्षा कर सभी 2000 पंचायतों में कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर का पोर्टल पर Enrollment कराकर प्रशिक्षण कराना तथा परीक्षा हेतु पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें।

अद्यतन स्थिति तक केवल 810 आधार किट का ही क्रय किया गया है। सभी DPRO को निदेश दिया गया कि अविलंब पंचायतों में बचे हुए कार्य को पूर्ण करते हुए दिनांक–21.06.2026 से सभी 2000 पंचायतो में आधार सेवा शुरू करना सुनिश्चित किया जाए।

(घ) ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्माण किये जा रहे 1069 पंचायत सरकार भवन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक बिहार में तकनीकी सहायक द्वारा तैयार 774 पंचायतों के प्राक्कलन के विरूद्ध 636 पंचायतों में तकनीकी स्वीकृति, 526 पंचायतों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा 145 पंचायतों में निर्माण कार्य प्रारंभ की गयी है, जो चिन्ताजनक है। निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर सभी पंचायतों में जिला पदाधिकारी से व्यय की स्वीकृति प्राप्त करना सुनिश्चित करें तथा जिन पंचायतों में व्यय की स्वीकृति प्रदान कर दी

गयी है, उन पंचायतों मे निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ करें। शेष पंचायतो में पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी स्वीकृति हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(ड़) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक राज्य के 38 जिलों में कुल 214 पंचायतों में भूमि अप्राप्त है तथा 187 पंचायतों में भूमि का चयन किया जाना शेष है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। इस संबंध में निदेश दिया गया कि जिस पंचायत में भूमि उपलब्ध नहीं है, इससे संबंधित प्रमाण–पत्र जिला पदाधिकारी के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें।

(च) स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (LAEO) एवं भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा निर्माण कराये जा रहे पंचायत सरकार भवन की समीक्षा के क्रम में पाया कि क्रमशः 191 एवं 351 पंचायतों में भूमि विवाद/अनुपयुक्त पाये जाने के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। कुल 113 पंचायतों में चिन्हित भूमि पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना/जिला न्यायालय में वाद दायर है। निदेश दिया गया कि जिन पंचायतों में चिन्हित भूमि पर वाद दायर है, उन पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु वैकल्पिक भूमि का चयन किया जाए। साथ ही संबंधित तकनीकी सहायक एवं BPRO को प्रत्येक सप्ताह निर्माणधीन पंचायत सरकार भवन के निरीक्षण करने हेतु सभी DPRO अपने स्तर से निदेशित करें।

(अनुपालनः–बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

II. मुक्तिधाम, शवदाह–गृह, मृत्यु प्रमाण–पत्र की अद्यतन स्थितिः–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक बिहार में कुल 7866 स्थलों का सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें से अबतक मात्र 3003 अंत्येष्टि प्रतिवेदित है तथा 2538 मृत्यु प्रमाण–पत्र निर्गत की गयी है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। सभी DPRO को निदेश दिया गया कि जिन–जिन पंचायतों में सरकारी भूमि पर शवदाह गृह संचालित है, उसकी अद्यतन सूची एक माह के अंदर विभाग को भेजना सुनिश्चित की जाए। GPDP में पुरक योजना लेकर विभागीय निदेश के आलोक में शवदाह–गृह का निर्माण प्रारंभ कराया जाए। प्रत्येक जिला में ऐसे दो मुक्तिधाम/शवदाह–गृह की सूची विभाग को उवलब्ध कराया जाए जो कि ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण हो एवं जहाँ अंत्येष्टि अधिक संख्या में की जाती हो।

सभी DPRO को निदेश दिया गया कि शमशाम/कब्रिस्तान में किये गये अंत्येष्टि के 24 घंटे के अन्दर मृत्यु प्रमाण–पत्र मृतकों के संबंधितों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि के अन्दर मृत्यु प्रमाण–पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया के संबंध में पूर्व में सभी संबंधित पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है एवं निदेश भी निहित है।

विदित हो कि बिहार विकास मिशन द्वारा प्रत्येक 15 दिनों पर मोक्षधाम की समीक्षा की जाती है। निदेशित किया जाता है कि सभी DPRO नियमित रूप से इसकी समीक्षा कर अद्यतन प्रतिवेदन विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

लगातार............

(अनुपालनः—बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

III. मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना :—

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक 8053 पंचायतों के विरूद्ध मात्र 1350 पंचायतों में ही भूमि का चयन किया गया है। तकनीकी सहायक द्वारा मात्र 633 पंचायतों का प्राक्कलन तैयार किया गया है जिसमें से मात्र 432 की तकनीकी स्वीकृती एवं 251 की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस पर असंतोष व्यक्त की गयी। निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी के माध्यम से भूमि का चयन कर विभाग को सूचित करें तथा जिन पंचायतों में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है, उन पंचायतों में कन्या विवाह मंडप का निर्माण अविलंब प्रारंभ करें।

(अनुपालनः—बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

IV. जन—शिकायत की अद्यतन स्थिति—

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक 605 मामलों के विरूद्ध मात्र 228 मामलें में ही जिलो से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें से बेगूसराय, सुपौल, खगड़िया एवं शिवहर जिलों से शून्य प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। सभी DPRO को निदेश दिया गया कि जन—शिकायत से संबंधित सभी मामलो का नियमित समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए एक माह के अंदर निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः—बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

V. CPGRAMS की अद्यतन स्थितिः—

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक बिहार में कुल 80 मामलें लंबित है, जिसमें से 62 मामलों का निष्पादन हो चुका है। MoPR CPGRAMS से संबंधित मामलों में 424 मामलें 30 दिनों से अधिक लंबित है। विदित हो कि MoPR CPGRAMS से संबंधित मामलों का निष्पादन 21 दिनों के अंदर करना होता है। इस संबंध में सभी DPRO को निदेश दिया गया कि इसकी विस्तृत समीक्षा कर एक सप्ताह के अंदर सभी लंबित मामलों का निष्पादन करना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः—बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

VI. मुख्यमंत्री सहयोग पोर्टल की अद्यतन स्थिति—

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 9292 प्राप्त मामलों के विरूद्ध 7113 मामलों का ससमय निष्पादन हो चुका है। कई बार यह शिकायत प्राप्त होती है कि मामलों का गुणवत्तापूर्ण निष्पादन नहीं हो पाता है। इस संबंध में

लगातार..........

सभी DPRO को निदेश दिया गया कि इसकी नियमित समीक्षा कर मामलों के गुणवत्तापूर्ण निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाइ किया जाए।

(अनुपालनः—बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

VII. लंबित उपयोगिता प्रमाण—पत्र की अद्यतन स्थिति तथा अनुपालन :—

(क) बिहार के सभी जिलों के लंबित उपयोगिता प्रमाण—पत्र की समीक्षा की गयी। मुजफ्फरपुर, पटना, पश्चिम चंपारण, गया जी, गोपालगंज, समस्तीपुर, अररिया, दरभंगा, सुपौल एवं पूर्वी चंपारण जिलों के लंबित राशि की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया है कि अपने जिले का लंबित उपयोगिता प्रमाण—पत्रों का समायोजन कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

साथ ही सभी DPRO को निदेश दिया गया कि (देवव्रत सहनी बनाम बिहार सरकार) CWJC वाद से संबंधित Post CFMS अवधि के लंबित उपयोगिता प्रमाण—पत्र को दिनांक— 15.07.2026 तक समायोजन कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(ख) Departmental Audit Progress Report(FY: 2024-25)- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 38 जिला परिषद के विरूद्ध 30, 533 पंचायत समिति के विरूद्ध 493, 8053 पंचायत के विरूद्ध 7160 एवं 8053 ग्राम कचहरी के विरूद्ध 7471 में ही ऑडिट कार्य पूर्ण किया गया है।

कतिपय DPRO के द्वारा बताया गया कि ऑडिटर क्षेत्र भ्रमण नहीं करते है। जिला मुख्यालय में ही रहकर ऑडिट कार्य संपादित करते है, जिससे अनावश्यक विलबं होता है। निदेश दिया गया कि संबंधित ऑडिटर जिला मुख्यालय में न रहकर जिस भी प्रखंड के प्रभार में है, उनमें से ही किसी एक प्रखंड में निवास कर ऑडिट कार्य संपादित करेंगें अन्यथा उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई होगी।

(अनुपालनः—बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

VIII. जिलों में लंबित न्यायिक वादों की जिलावार अद्यतन स्थिति :—

S.n	District Name	No. of CWJC	No. of MJC
01	Araria	02	00
02	Arwal	02	00
03	Aurangabad	08	00
04	Banka	00	00
05	Begusarai	05	00
06	Bhagalpur	03	00
07	Bhojpur	01	00
08	Buxar	05	01
09	Darbhanga	07	00
10	East Champaran	08	00
11	Gaya	05	00
12	Gopalganj	05	00

13	Jamui	08	00
14	Jehanabad	03	00
15	Kaimur	00	00
16	Katihar	05	00
17	Khagaria	09	00
18	Kishanganj	03	00
19	Lakhisarai	01	00
20	Madhepura	01	01
21	Madhubani	09	00
22	Munger	04	00
23	Muzaffarpur	08	00
24	Nalanda	01	01
25	Nawada	05	00
26	Patna	11	00
27	Purnia	01	00
28	Rohtas	08	01
29	Saharsa	00	00
30	Samastipur	11	01
31	Saran	06	02
32	Sheikhpura	01	00
33	Sheohar	00	00
34	Sitamarhi	08	02
35	Siwan	04	00
36	Supaul	02	00
37	Vaishali	12	00
38	West Champaran	01	01
Total		**173**	**10**

सभी लंबित MJC मामलों का 07 दिनों तथा CWJC मामलों का निष्पादन 15 दिनों के अन्दर सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः—बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

IX. मल्टी पोस्ट ई0वी0एम0 के भण्डारण हेतु वेयर हाउस के चयनोपरान्त आवश्यक उपकरणो, साज—सज्जा एवं मरम्मती के लिए आवश्यक निधि/आवंटन से संबंधित अधियाचना उपलब्ध कराने की अद्यतन स्थितिः—

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अरवल, बेगूसराय, कैमुर, कटिहार, खगड़िया, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी एवं सुपौल जिलों से मल्टी पोस्ट ई0वी0एम0 के भण्डारण हेतु आवश्यक निधि/आवंटन से संबंधित अधियाचना विभाग को अप्राप्त है। उक्त जिलों के DPRO को निदेश दिया गया कि ई0वी0एम0 के रख—रखाव हेतु निधि/आवंटन से संबंधित अधियाचना दो(2) दिनों के अंदर पत्र जिला पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को भेजना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः—बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

लगातार............

X. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजनाः–

(क). मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दिनांक–31.03.2026 तक चतुर्थ चरण मे सभी सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन किया जाना था परंतु अद्यतन स्थिति तक भागलपुर में मात्र 35%, सहरसा में 46%, मधेपुरा में 43% एवं सारण में 57% सोलर स्ट्रीट लाईट का ही अधिष्ठापन किया गया है। इस पर असंतोष व्यक्त की गयी तथा इस संबंध में उक्त जिलों के DPRO को निदेश दिया गया कि एकरारनामा की शर्तो के अनुसार संबंधित एजेंसी पर Penalty लगाकर विभाग को सूचित करें।

सारण के DPRO के द्वारा बताया गया कि उनके जिले में कार्यरत एजेंसी द्वारा संधारित सामग्री को सत्यापन के उपरांत वेयरहाऊस से किसी अन्य जगह हस्तांरित कर दी गयी है, जिससे अधिष्ठापन कार्य बाधित हो रही है। निदेश दिया गया कि इसका सत्यापन कर कार्रवाई करें।

(ख). सभी चरणों को मिलाकर सिवान, पूर्णिया, मधेपुरा, औरंगाबाद, जमुई एवं बांका जिलों में अधिष्ठापित लाईटों के विरूद्ध CMS पर Integration का प्रतिशत कम है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी तथा निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर CMS पर 100% Integration करना सुनिश्चित करें।

(ग). जिलों द्वारा प्रावधानित 25% भुगतान की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि नवादा, जहानाबाद, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी एवं समस्तीपुर जिलें में सभी चरणो में कार्यरत एजेंसियों को भुगतान का प्रतिशत निम्न है। इन सभी जिलों के DPRO को निदेशित किया गया कि नियमानुसार जांच करते हुए ससमय विधिवत भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करें।

समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि 25% भुगतान करने के उपरांत एजेंसी द्वारा Material को दूसरी जगह Shift कर दी जा रही है। सभी DPRO को निदेश दिया गया कि वेयरहाउस में Material की जाँच के उपरांत ही 25% का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगें।

ग्राम पंचायतों द्वारा प्रावधानित 45% भुगतान के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शेखपुरा, सारण, नवादा, औरंगाबाद, बक्सर, वैशाली, सहरसा, पटना एवं शिवहर जिलें में सभी चरणो में कार्यरत एजेंसियों को भुगतान का प्रतिशत निम्न् है। इन सभी जिलों के DPRO को निदेशित किया गया कि नियमानुसार जांच करते हुए ससमय विधिवत भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करें।

(घ). विभागीय पत्रांक– 7402 दिनांक– 14.05.2026 द्वारा माननीय जनप्रतिनिधियों को CMS Portal का Access उपलब्ध कराने के संबंध में सभी जिलों को एक पत्र प्रेषित किया गया था परंतु अद्यतन स्थिति तक कुल 08 जिलों यथा अरवल, बांका, पश्चिम चंपारण, बक्सर, दरभंगा, जमुई, पूर्वी चंपारण एवं शिवहर द्वारा CMS Portal का access माननीय जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध नहीं कराया गया है। उक्त जिलों के DPRO को निदेशित किया गया कि अविलंब CMS Portal का access माननीय जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

लगातार............

CMS Portal के माध्यम से प्राप्त जन–शिकायतों के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 979 आवेदन प्राप्त हुए है, जिसमें से मात्र 170 आवेदन का ही निष्पादन हुआ है। सभी DPRO को निदेशित किया गया कि इसकी नियमित समीक्षा कर आवेदनो का ससमय शत–प्रतिशत निष्पादन करना सुनिश्चित करें।

कुल 08 जिलों यथा अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, गया जी, मुजफ्फरपुर, नालंदा एवं नवादा द्वारा ही Service Center Inspection Report विभाग को भेजा गया है। शेष जिलो के DPRO को निदेशित किया गया कि दिनांक–05.07.2026 तक सभी Service Center की जाँच कर विभाग को प्रतिवेदित करें।

(अनुपालनः–बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

XI. RGSA- UC & Audit Status

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दिनांक– 01.04.2014 से 31.03.2026 तक ~~क्षेत्र~~ कार्यालय में विभिन्न योजनाओं से संबंधित कुल ₹10.17 करोड़ की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित है, जिसमें से पटना, मधेपुरा, खगड़िया, गया जी एवं शिवहर जिलो की स्थिति चिंताजनक है। सभी DPRO को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर उपयोगिता प्रमाण–पत्र समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

(अनुपालनः–बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

XII. 15वीं वित्त आयोग/षष्ठ्म राज्य वित्त आयोगअंतर्गत ली गयी योजनाओं के भुगतान की अद्यतन स्थितिः–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्न्वत हैः–

15वीं वित्त आयोग		
क्र०सं०	**त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं**	**व्यय प्रतिशत**
01	जिला परिषद्	09.08%
02	पंचायत समिति	20.62%
03	ग्राम पंचायत	16.56%

नालन्दा, दरभंगा, बक्सर, नवादा एवं जहानाबाद जिलो के जिला परिषद् द्वारा सबसे कम राशि व्यय की गयी है। संबंधित उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन कराते हुए व्यय में प्रगति लाना सुनिश्चित करेंगें।

लगातार............

(ख) षष्ठ्म राज्य वित्त आयोगः–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि षष्ठ्म राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्न्वत हैः–

षष्ठ्म राज्य वित्त आयोग		
क्र०सं०	**त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं**	**व्यय प्रतिशत**
01	जिला परिषद्	41.13%
02	पंचायत समिति	74.75%
03	ग्राम पंचायत	75.36%

नवादा, दरभंगा, नालन्दा, पटना, मधुबनी एवं गया जी जिलो के जिला परिषद् द्वारा सबसे कम राशि व्यय की गयी है।

खगड़िया, सहरसा, दरभंगा, नालंदा एवं सीतामढ़ी जिलों में पंचायत समिति द्वारा सबसे कम राशि व्यय की गयी है। कारण पूछने पर कतिपय DPRO के द्वारा बताया गया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा राशि के व्यय में बाधा उत्पन्न की जा रही है। सभी DPRO को निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी के माध्यम से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कराना सुनिश्चित कर विभाग को प्रतिवेदित करें।

साथ ही अपने स्तर से प्रखंडवार एवं पंचायतवार समीक्षा कर पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत में उपलब्ध राशि के व्यय हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगें।

(अनुपालनः–बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

XIII. सप्तम राज्य वित्त आयोग–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 17 जिलों द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं पर मांगी गयी वांछित सूचना/प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। शेष जिलो यथा बक्सर, गया जी, जमुई, खगड़िया, नवादा, सहरसा एवं समस्तीपुर के DPRO को निदेश दिया गया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सूचना/प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर विभाग को भेजना सुनिश्चित करें ताकि सप्तम राज्य वित्त आयोग को ससमय उपलब्ध करायी जा सके।

अनुपालनः–बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

XIV. PSB-Schemes Physical Inspection by DPRO:–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दिनांक– 01.05.2026 से 10.06.2026 तक DPRO के द्वारा मात्र 03 एवं BPRO के द्वारा मात्र 55 पंचायत सरकार भवन का ही निरीक्षण किया गया है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी तथा सभी DPRO को निदेश दिया गया कि संबंधित BPRO को प्रत्येक सप्ताह क्षेत्र भ्रमण कर निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन के साथ–साथ अन्य योजनाओं का भी निरीक्षण करने हेतु अपने स्तर से निदेशित करना सुनिश्चित करें।

लगातार............

जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को भी नियमित रूप से पंचायत सरकार भवनों के साथ–साथ क्रियान्वियत की जा रही अन्य योजनाओं का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। पंचायत सरकार भवन के निर्माण में स्थल की उपयुक्तता पर विशेष ध्यान देने एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ से डूब जानेवाले क्षेत्रों/स्थलों पर इसका निर्माण नहीं हो, यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। साथ ही संबंधित तकनीकी सहायक एवं BPRO को निर्माणाधीन PSB का App के माध्यम से भी निरीक्षण कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः–बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

19/6/26

(मनोज कुमार)
सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार

ज्ञापांकः–9प० / विविध–01–247 / 2023 / 9361 **/ पं०रा० पटना, दिनांक** 19/6 **/ 2026**

प्रतिलिपिः–बिहार के सभी जिला पदाधिकारी/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/06/26

(अखिलेश कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांकः–9प० / विविध–01–247 / 2023 / 9361 **/ पं०रा० पटना, दिनांक** 19/6 **/ 2026**

प्रतिलिपिः–सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/निदेशक के आशुलिपिक/अपर सचिव के आशुलिपिक/सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/06/26

(अखिलेश कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांकः–9प० / विविध–01–247 / 2023 / 9361 **/ पं०रा० पटना, दिनांक** 19/6 **/ 2026**

प्रतिलिपिः–आई0टी0मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को भेजते हुए निदेशित किया जाता है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

19/06/26

(अखिलेश कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी